

बिहार सरकार
विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

का० आ० सं०— वि० प्रा० एवं त० शि० (IX) बैठक—08/2025/

/पटना, दिनांक:—

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय), बिहार, पटना का पत्रांक—1415, दिनांक—23.06.2025 के आलोक में The Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019 की धारा—11 में प्रावधानित “Every Establishment shall designate a Person to be a complaint officer to deal with the complaints relating to violation of the provisions of this Act” हेतु श्री कुमार सिद्धार्थ, संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

(मोनिका ठाकुर)

विशेष कार्य पदाधिकारी

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— वि० प्रा० एवं त० शि० (IX) बैठक—08/2025/

/पटना, दिनांक:—

प्रतिलिपि:—निदेशक, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

विशेष कार्य पदाधिकारी

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— वि० प्रा० एवं त० शि० (IX) बैठक—08/2025/ 4004

/पटना, दिनांक:—23.07.25

प्रतिलिपि:—सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के निजी सहायक/श्री कुमार सिद्धार्थ, संयुक्त सचिव/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।